

# **Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur (M.P.)**

## **Quotation Called for preparation/making charges of Gold Medals.**

### **Terms and condition for preparation of Gold Medals**

1. **V.V. Gold Medal-** 3 cm. diameter, 24 caret purity, 20 gm. gross weight, punching, glanding and engraving etc. with crest and box of superior quality (1/3 gold and 2/3 alloy)
2. **Doner's Gold Medal-** 3 cm. diameter, 20 gm. gross weight, punching, glanding and etc. with crest and box (20 gram alloy with 1 gram gold double coated polish)

### **कोटेशन आमंत्रित हेतु नियम व शर्त :-**

1. वि.वि. स्वर्ण पदकों हेतु निर्माण दरें (Making charges) कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।
2. पदक निर्माणकर्ता का जारी कार्या-आदेश की तिथि को निर्धारित सोने के बाजार (शासकीय) मूल्य के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
3. निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पदको में लगने वाले कुल सोने (24 करेट) के बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत अग्रिम राशि के रूप में पदक निर्माता को भुगतान किया जावेगा।
4. स्वर्ण पदक निर्माता द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तैयार पदकों की शुद्धता का प्रमाण पत्र प्रति पदक शासन से अधिकृत एजेन्सी का मान्य होगा।
5. स्वर्ण पदकों के निर्माण में लगने वाली स्वर्ण एवं चाँदी की मात्रा की कुल कीमत आदेश जारी होने की तिथि को बाजार भाव के अनुसार देया होगी। इस हेतु सामाचार पत्र की कतरन जिसे उक्त तिथि को स्वर्ण एवं चाँदी के भाव अंकित हो साथ ही वजन के प्रमाण स्वरूप धर्मकांटे की रसीद एवं गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. सभी स्वर्ण पदकों का प्रदाय निर्धारित अनिवार्य समय-सीमा में करना होगा।
7. स्वर्ण पदक पर छात्रों का नाम एवं अन्य जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
8. स्वर्ण पदक की पुरानी डाईयाँ वि.वि. के अधीन है।
9. सभी स्वर्ण पदक अच्छे किस्म के मखमल के बाक्स में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रदाय करना होगा।
10. स्वर्ण पदकों के निर्माण में लगने वाले सोने – चाँदी को क्रय करने हेतु अग्रिम राशि भेजने बावत् प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने होंगे, ताकि स्वर्ण पदक का निर्माण निश्चित समय-सीमा में पूर्ण हो सके।
11. किसी भी प्रकार के विवादित मामलों में कुलसचिव का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
12. इस विषय से संबंधित सर्वाधिकार कुलसचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, को सुरक्षित होंगे।

नोट:- कोटेशन 20-09-2024 को सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा कुलसचिव कार्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को प्रस्तुत करना मान्य होगा।

कुलसचिव  
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर